



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 14.04.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 145/2024 धारा 323/504/506/304 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.04.2024 को वादी श्री अंकिल पुत्र अमरपाल सिंह निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 31.03.2024 को अभियुक्तगण 1.गौरव व 2.सौरभ पुत्रगण गजराज 3.गजराज व 4.नरेन्द्र पुत्रगण नत्थन सिंह निवासीगण ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता अमरपाल सिंह, चाचा विजय कुमार, भाई चिन्टू व ताऊ गजराम सिंह के साथ गाली – गलौच करते हुए लाठी – डण्डो से मारपीट की गयी, जिससे वादी के पिता अमरपाल सिंह मौके पर ही बेहोश हो गये । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0



145/2024 धारा 323/504/506/308 भादवि बनाम गौरव आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया । दिनांक 12.04.2024 को उपचार के दौरान घायल अमरपाल सिंह उपरोक्त की मृत्यु हो गयी । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियोग में धारा 308 भादवि का लोप कर धारा 304 भादवि कि वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 145/2024 धारा 323/504/506/304 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.गौरव व 2.सौरभ पुत्रगण गजराज 3.नरेन्द्र सिंह पुत्र नत्थन सिंह निवासीगण ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त दो लाठी व एक लोहे के पाइप सहित गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.गौरव पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.सौरभ पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.नरेन्द्र सिंह पुत्र नत्थन सिंह निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

दो लाठी व एक लोहे का पाइप

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.है0का0 645 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2488 अनिल कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 45 सावन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक 14.04.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.04.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शमीम पुत्र अली हसन निवासी ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शमीम पुत्र अली हसन निवासी ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 यशपाल मलिक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. का0 129 कुलदीप थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावर

दिनांक 14.04.2024

थाना मंडावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.04.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त शाहरुख पुत्र फारुख नि० मौ० शाहविलायत कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया



गया । इस संबंध में थाना मंडावर पर मु०अ०स०- 138/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम शाहरुख उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

शाहरुख पुत्र फारुख नि० मौ० शाहविलायत कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इन्तखाब उपरोक्त:-

- 1.मु०अ०स०-01/24 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०स०-399/23 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०स०-07/23 धारा 323/504 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 4.मु०अ०स०-351/19 धारा 323/324/504 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र गिरि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी 401 दीपक राणा थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी 2132 साकेत भाटी थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावर

दिनांक 14.04.2024

थाना मंडावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.04.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त शाहरुख पुत्र फारुख नि० मौ० शाहविलायत कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया



गया । इस संबंध में थाना मंडावर पर मु०अ०स०- 138/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम शाहरुख उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

शाहरुख पुत्र फारुख नि० मौ० शाहविलायत कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इन्तखाब उपरोक्त:-

- 1.मु०अ०स०-01/24 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०स०-399/23 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०स०-07/23 धारा 323/504 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 4.मु०अ०स०-351/19 धारा 323/324/504 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र गिरि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी 401 दीपक राणा थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी 2132 साकेत भाटी थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।